


11.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़